

107 द. प्र. स.

न्यायालय, अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी.

सिद्ध देवी की
षमाम

लखन लोहरा की

M-76/17

आदेश पत्रक

24/8/12

अभिलेख संख्या :- एम. 76 / 2017 धारा :- 107 द. प्र. स.

थाना प्रभारी अड़की के अप्राथमिकी संख्या :- 2/17

273
24/8/12

प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि :-

जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेगा जिससे परिशांति भंग हो जायेगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।

अतः मैं अनुमंडल दण्डाधिकारी, खूँटी, उक्त पुलिस प्रतिवेदन के आधार पर संतुष्ट होकर द 0 प्र 0 स 0 की धारा 107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करता हूँ। द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को एक हजार रुपये का बंध -पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।

दिनांक :- 2/9/12 को उपस्थापित करें।

24-8-17
अनुमंडल दण्डाधिकारी,
खूँटी

15/2/18 प्रथम पत्र के एक अलग आवेदन के साथ
उपरोक्त विषयों के ही अलग उपाय पत्र
दि. 23/2/18 को रखें

23/2/18 प्रथम पत्र के एक अलग आवेदन के साथ
उपरोक्त विषयों के ही अलग उपाय पत्र।
दि. 9/3/18 को रखें

9/3/18 विषयों के ही अलग उपाय पत्र, दि. 16/3/18
को रखें

16/3/18 प्रथम पत्र के एक अलग उपाय पत्र, विषयों
के ही अलग उपाय पत्र, दि. 5/4/18 को
रखें

5/4/18 विषयों के ही अलग उपाय पत्र प्रथम पत्र
के एक अलग उपाय पत्र, दि. 26/4/18
को रखें

उपाय पत्र: दि. 10/5/18

एक उपाय विनियमन के

मध्य अड्डे/वाहक
जाने कार्यवाही वंद

16/11/17

उपाय पत्र

उपाय पत्र

दि. 1